न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या **61/2023** अन्तर्गत धारा **131, 136** RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
हरीसिंह पुत्र तुलछसिंह जाति राजपुत, निवासी नागाणा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. प्रतापसिंह पुत्र तुलछसिंह जाति राजपुत, निवासी नागाणा तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 14.03.2024

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की पैतृक खातेदारी का खेत मौजा नागाणा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 443/388 रकबा 3.5127 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 2 का खेत खसरा नम्बर 444/388 रकबा 3.3751 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी पूर्व में मूल खसरा नम्बर 388 थी, जिसका बाद में पक्षकारान् द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा करवाया जाकर अपने कब्जा काश्त अनुसार काबिज काश्त हुए तथा पृथक खसरा नम्बर कायम हुए। उक्त आपसी सहमति बंटवारा के संलग्न नक्शा उस समय गलत तथा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत पेश करने से नामांतरकरण पारित करते समय त्रूटिपूर्ण तरमीम अंकित हो गई है। उक्त लट्ठा नक्शा की तरमीम से प्रार्थी के रहवासी घर एवं कब्जा काश्त विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी में चला गया है। उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी के खसरा नम्बर 443/388 व 444/388 में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 2 के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त अनुसार एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। उक्त विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा एवं मौका स्थिति का मिलान करने पर हरिसिंह पुत्र तुलछसिंह की रहवासी ढाणी खसरा नम्बर 444/388 में आ रही है, जिसे मौके पर उपस्थिति प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मौके पर कब्जा काश्त एवं रहवासी ढाणी को मध्यनजर रखते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' पक्षकारान् के मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त एवं रहवासी ढाणी सही होने से उक्तानुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त एवं रहवासी ढाणी के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। साथ ही मौका रिपोर्ट में मौके पर उभयपक्ष प्रभावित पक्षकारान् द्वारा उपस्थित होकर तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तदनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नागाणा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 443/388, 444/388 रकबा क्रमशः 3.5127, 3.3751 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तदनुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 14.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)